

प्ररूप क-2
(कम्पनियों के लिए)
प्ररूप II, III और V में आयुध अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्ररूप
(नियम 11 देखें)

आवेदक की पहचान		
1	आवेदक कम्पनी का नाम	
	स्थायी पहचान संख्या (पेन) कारपोरेट पहचान संख्या (सी.आई.इन.)	
2	कम्पनी की आवेदक शाखा या प्रतिनिध कार्यालय का नाम (यदि आवेदन ऐसी शाखा या प्रतिनिध कार्यालय द्वारा भरा गा है)	
3	आवेदक कम्पनी की स्थापना (नीचे टिप्पणी 1 देखें)	
4	“उत्तरदायी व्यक्ति का पदनाम जो आवेदक कम्पनी की ओर से हस्ताक्षर करेगा (लिखित में प्राधिकृत किया जाए या जहां कहीं अपेक्षित हो बोर्ड संकल्प के माध्यम से)	
5	कम्पनी का रजिस्टर्ड कार्यालय पता	
	दुरभाष सं0 (कार्यालय)	
	उत्तरदायी व्यक्ति का मोबाईल संख्या	
	ई-मेल	
	*नजदीक पुलिस थाना	
6	शाखा या प्रतिनिध कार्यालय का पता जो कि आवेदन में भरा गया है	
	दुरभाष सं0 (कार्यालय)	
	उत्तरदायी व्यक्ति का मोबाईल संख्या	
	ई-मेल	
	*नजदीक पुलिस थाना	

*टिप्पण – नजदीकी पुलिस थाना से वह पुलिस थाना अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता में दिया गया पता आता है

आवेदक की अन्य विशिष्टियां

7	क्या आवेदक या उसके कार्यालय का पदधारियों या निदेशकों को कभी:-			
(क)	दोष सिद्ध हुआ है (पृथक कागज में ब्यौरा संलग्न करें यदि उत्तर सकारात्मक है)	हां	नहीं	यदि हां, तो उसका ब्यौरा अपराध..... दण्डादेश..... दण्डादेश की तारीख..... दिन/मास/वर्ष.....
(ख)	आयुध या गोला बारूद रखने से आयुध अधिनियम, 1959 या कोई अन्य विधि के अधीन निषेध हुआ है है	हां	नहीं	यदि हां, तो उसका ब्यौरा तारीख..... दिन/मास/वर्ष..... (निषेध के लिए अवधि)
8	क्या-			
(क)	आवेदक ने अनुज्ञप्ति के लिए पहले आवेदन किया है- यदि हां कब से कब तक और उसका परिणाम क्या था	हां	नहीं	यदि हां, तो उसका ब्यौरा आवेदन किए जाने की तारीख..... दिन/मास/वर्ष..... अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का नाम..... परिणाम (कृपया विनिर्दिष्ट कर) अनुमोदित/अस्वीकृत/लंबित.....
(ख)	आवेदक का अनुज्ञप्ति कभी निलंबित या निरस्त/प्रति संहारित हुआ था	हां	नहीं	यदि हां, तो उसका ब्यौरा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का नाम..... कारण.....
(ग)	कम्पनी द्वारा पहले से ही कोई अन्य आयुध अनुज्ञप्ति धारण किया हुआ है या जहां आवेदक ऐसी कम्पनी की शाखा या प्रतिनिधि कार्यालय है, वहां ऐसी शाखा या प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा धारण किया हुआ है	हां	नहीं	यदि हां तो उसका ब्यौरा नाम..... अनुज्ञप्ति सं०..... आयुध पृष्ठांकन.....
				1.
				2.
				3.
(घ)	आवेदक के पास आयुध और गोला बारूद रखने की सुरक्षित जगह है	हां	नहीं	यदि, हां तो उसका ब्यौरा
(ङ)	आवेदक द्वारा नियोजित करने वाले प्रतिधारक या प्रतिधारकों को नियम 10 में, यथाविनिर्दिष्ट प्रशिक्षण दिया गया है	हां	नहीं	यदि, हां तो उसका ब्यौरा

	। (जहां कहीं केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू)			
आवेदन किए गए विज्ञप्ति की विशिष्टियां				
9	अनुज्ञप्ति के लिए आवश्यकता (नीचे टिप्पण 2 देखें)			
10 (क)	आयुध का विवरण जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है (कोई एक विकल्प पर सही का निशान लगाए)	प्रवर्ग निबंधित/अनुज्ञेय राइफल शाट गन (बी एल/एम एल) हैंडगन (रिवाल्वर/पिस्टल) अन्य	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
(ख)	गोलाबारूद का विवरण या गोलाबारूद संघटक जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है)			
11	अग्निआयुध की संख्या जिसके लिए आवेदक ने आवेदन में चाह है			
12	क्षेत्र के भीतर जिसमें आवेदक ने आयुध को ले जाने की चाह रखी है (किसी एक विकल्प पर सही निशान लगाए)	जिला राज्य पुरे भारत भर में	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
13	अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए विशेष विचारण के लिए दावा यदि कोई हो (सध्य दस्तावेज संलग्न कीजिए)			

मैं ----- उत्तरदायी व्यक्ति ----- स्तंभ (3) में यथाउल्लिखित पदनाम ----- (कंपनी नाम) यह घोषणा करता हूं कि आवेदन में दिए गए विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सत्य, पूर्ण और सही है। मुझे ज्ञात है कि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है, मैं, स्वयं, साथ ही साथ कंपनी, आयुध अधिनियम, 1959, आयुध नियम 2016 और अन्य केन्द्रीय अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त उपबंधों के अधीन मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दायी होगी।

स्थान:

(मोहर सहित उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

तारीख:

कम्पनी की ओर से हस्ताक्षर करने वाला

टिप्पण :

1 कम्पनी के गठन का उल्लेख किया जाना –

किसी विशेष अधिनियम या अन्यथा आदि के अधीन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, सरकारी उपक्रम, सोसाइटी, कॉ:आपरेटिव सोसाइटी, संस्थान, विश्वविद्यालय, भागीरथ फर्म व्यक्तियों का संघ (ए.ओ.पी) या कोई अन्य निकाय

2 स्तंभ 8 के सामने, आवेदन को स्पष्ट रूप से उस प्रयोग का उल्लेख करना चाहिए जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है जैसे उपयोग, अर्जन, कब्जा ले जाना, संरक्षण प्रदर्शन, लक्षित व्यवसाय या गोलीबारी।

3 आवेदक, आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अपेक्षित है :-

(क) आयुध नियमों के अधीन आवेदन करने के लिए नियम 2 के खण्ड (44) द्वारा नियुक्त उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया हुआ आवेदक कम्पनी के लेटर हैड पर लिखित वचनबद्ध :

(ख) उपरोक्त खण्ड (क) में निर्दिष्ट पारित बोर्ड संकल्प या उत्तरदायी व्यक्ति की नियुक्ति की पुष्टि का प्राधिकृत पत्र की मूल प्रति :

(ग) कम्पनी के स्थापना दस्तावेजों जिसके अंतर्गत संगम ज्ञापन भी है की अनुप्रमाणित प्रतियां :

(घ) नियम 10 में यथाविनिर्दिष्ट, प्रारूप ख-2 में अग्निआयुध का सुरक्षित उपयोग और भंडारण का वचनबद्ध :

चेतावनी : आयुध नियमों के अतिक्रमण में आवेदन प्रारूप में दी गई किसी तथ्यपूर्ण सूचना या किसी प्रकार की झूठी या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक, आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 30 के अधीन दंड के लिए दायी होगी।